<u>समयबद्ध</u>

<u>संख्या-10/4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2015</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 22 सितम्बर, 2015

विषय- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनॉक 27-04-2012 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय के विषयगत निर्णय/आदेश दिनॉक 27-04-2012 का अनुपालन किये जाने हेतु कार्मिक विभाग के समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 के माध्यम से निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश एवं तत्क्रम में दिनॉक 25-08-2015 को संपन्न समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें।

2 उपर्युक्त के क्रम में पुन: स्पष्ट किया जाता है कि-

1 पदावनत कर्मी को किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार न दिया जाये।

2 प्रश्नगत शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 के प्रस्तर-6 के अनुपालन में पदावनत किये गये कर्मी अथवा पदावनत न किये गये कर्मी के संदर्भ में प्राप्त प्रत्यावेदनों/शिकायतों पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाये।

3 जिन कार्मिकों को पद में पदावनत न करते हुए उसी पद पर निम्न वेतनमान में पदावनत किया गया हो, उन्हें भी पदावनत माना जायेगा।

3 यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मा0उच्चतम न्यायालय के आदेश के समादर में निर्गत उक्त शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 का पूर्णतया अनुपालन किये जाने हेतु संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी समझे जायेंगे।

4 **कृपया समस्त प्रमुख सचिव/सचिव यह सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 के अनुपालन में ऐसे समस्त कार्मिकों को पदावनत कर दिया गया है, जिन्हें पदावनत (वेतनमान में भी) किया जाना था। पूर्व प्रेषित प्रारूप (जो पुनः संलग्न है) पर अपने विभाग की स्वहस्ताक्षरित समेकित सूचना दिनॉक 28-09-2015 के सायं तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।**

5 कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://shasandesh.up.nic.in

संख्या-10(1)/4/1/2002(1)टी0सी0-1-का-2/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2 प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

3 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

5 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

6 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in